न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

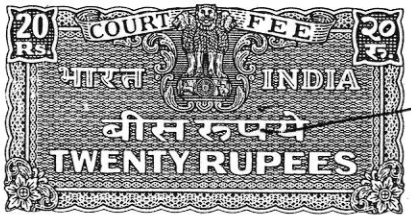

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 201

निगरानी 997-III-15

104
15-4-15

चन्द्रशेखर प्रसाद पटेल पिता सीता प्रसाद पटेल निवासी ग्राम सोनौरा तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

—निगरानीकर्ता / रेस्पान्डेट

बनाम

बृजनन्दन प्रसाद पटेल पिता गिरजा प्रसाद पटेल साकिन सोनौरा तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

—गैरनिगरानीकर्ता / अपीलांट

श्री ... सिंह ... एड द्वारा आज दिनांक 15-5-15 के प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 5144

23-4-15

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 25 / अ 27 / 10, 11 में पारित आर्डर सीट में आदेश दिनांक 11.03.2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

संक्षिप्त विवरण

(अ) यह कि गैरनिगरानीकर्ता / अपीलान्ट ने न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय तह. रायपुर कर्चु. जिला रीवा में न्यायालय में सरपंच ग्राम पंचायत कोष्टा जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान के नामान्तरण पंजी क्रं. 8 का आदेश दिनांक 05.07.2003 ग्राम कोष्टा नामान्तरण पंजी वर्ष 2002, 2003 के विरूद्ध अपील दायर किया है।

(ब) यह कि उक्त अपील की समय सीमा के बाहर होने से अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया था जिस पर माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्ता को जवाब पेश करने का मौका नहीं दिया गया ना ही निगरानीकर्ता के तर्क

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 1

प्रकरण कमांक R -997–तीन–.2015 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश चन्द्रशेखर / बृजनन्दन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–02–2016	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के प्रकरण कमांक 25 / अ–27 / 10–11 में पारित आदेश दिनांक 11.3.15 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री नीलम सिंह उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राहयता पर सुना गया। उनके द्वारा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर निगरानी ग्राहय करने का निवेदन किया गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का परिशीलन किया गया। साथ ही आक्षेपित आदेश दिनांक 11.3.15 का भी अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने प्रकरण कमांक 25 / अ–27 / 10–11 में पारित आदेश से यह अंकित करते हुए कि धारा 5 पर सुनवाई हेतु आवेदक के अधिवक्ता अनु.अधि. के समक्ष उपस्थित हुए किन्तु उनके द्वारा अनेक पेशियों के बाद भी धारा 5 का जबाब भी प्रस्तुत नहीं किया और न ही धारा 5 के आवेदन पर तर्क में ही भाग लिया गया। इसके साथ ही नामांतरण पंजी में भी अनावेदक के हस्ताक्षर न होने एवं इश्तहार तथा सूचना पत्र जारी होने का उल्लेख भी पाया गया। इसे आधार मान कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण गुणदोष पर निराकरण किए जाने हेतु विचार में लिया जाकर तर्क हेतु नियत किया गया। विचारोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से किसी भी पक्ष के हित वर्तमान में अनुचित रूप से प्रभावित हुए होने की कोई संभावना नहीं है इसके साथ ही उभयपक्ष को अपना पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त अवसर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध है जहां पर वे अपना पक्ष समर्थन कर सकते हैं। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में उभयपक्ष को पक्ष	

प्रकरण कमांक R -997–तीन–.2015 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश चन्द्रशेखर / बृजनन्दन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

समर्थन का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए गुण दोष पर बोलता हुआ स्पष्ट आदेश पारित करें।

परिणामस्वरूप प्रकरण में आक्षेपित आदेश यथावत रखा जाता है, तथा यह निगरानी प्रकरण अग्राहय किया जाकर इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा.रि.हो।

10.2.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य